बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक 15/01/2026

संचिका संख्या–03/आ०1–172/2025I/350455/ श्री बीरेन्द्र नारायण, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं आय से अधिक सम्पत्ति पाये जाने, अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्ट एवं गैर कानूनी तरीके से आपराधिक षड्यंत्र द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने आदि के आरोप पाये गये हैं।

2. विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा श्री बीरेन्द्र नारायण, सम्प्रति निलंबित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी तरीके से प्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में दायर प्राथमिकी संख्या–18/2025 दिनांक 10.09.2025 के आलोक में इन्हें संकल्प संख्या–294417 दिनांक–12.09.2025 से निलंबित किया गया।

3. श्री बीरेन्द्र नारायण के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17/19 के तहत उनसे बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

4. श्री बीरेन्द्र नारायण से प्राप्त बचाव अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है जिसमें यह ज्ञात होता है कि श्री नारायण के विरूद्ध गैर कानूनी तरीके से अपराधिक षड़यंत्र द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप है। अतएव श्री बीरेन्द्र नारायण, सम्प्रति निलंबित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए आरोपों की वृहत जाँच कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः श्री बीरेन्द्र नारायण, सम्प्रति निलंबित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (यथा–संसोधित) के प्रावधानों के तहत श्री विजय कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. संचालन पदाधिकारी विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए यथाशक्य तीन माह के भीतर अनुशासनिक कार्यवाही संपन्न कर विहित रूप में अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका की प्रति सहित सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ०1–172/2025I/350455 पटना, दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि.को.), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्री विजय कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर –सह–उपस्थापन पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/श्री बीरेन्द्र नारायण, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित (निलंबन मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 15-01-2026 19:11:05

E:\Manish